Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to restore the pension to old and disabled persons.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से पूरे देश के वृद्ध महिला-पुरुष, दिव्यांगजन और विधवा महिलाओं की एक बड़ी और गम्भीर समस्या को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ । जब हम लोग गाँवों में घूमते हैं, तो हजारों लोग ऐसी शिकायत करते हुए मिलते हैं, ऐसे लोगों की संख्या मेरे जिले में लाखों की है और पूरे देश में उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है । पहले जिनको पेंशन मिलती थी, आज वह बंद है, चाहे वह दिव्यांगजन, विधवा या वृद्ध के लिए हो । केन्द्र सरकार द्वारा भी पेंशन दी जाती है और उसमें राज्य सरकारों का अंश भी होता है । इस समस्या को रखते हुए, इस संबंध में मैं भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूँ कि सर्वे के कारण या किसी भी तकनीकी कारण से ऐसे लोगों के नाम छूट गये हैं या पहले जिन लोगों को पेंशन मिलती थी, किसी कारण से आज उनको पेंशन मिलनी बंद हो गई है, तो उसके लिए भारत सरकार फिर से सर्वे कराए । जब सर्वे होता है, तो एजेन्सियों की गलती के कारण, वैसे लोग जो इसके सही हकदार हैं, जो जेन्यून बेनिफिशियरीज हैं, उनके नाम छूट जाते हैं । जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वे सांसद हों या विधायक हों, उनको भी पाँच-दस प्रतिशत छूट मिले और उनसे एक सर्टिफिकेट लिया जाए कि हाँ, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, यह सच में निर्धन और भूमिहीन हैं । इसलिए जो इसके हकदार हैं, उनको पेंशन मिलनी चाहिए । यह देश के करोड़ों लोगों के कल्याण की योजना है, जिसे मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ और आग्रह करना चाहूँगा कि करोड़ों गरीब लोगों का भला होना चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।